

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-न-5(80)पुलिस-फोर्स/कानि0 भर्ती/2018/107

दिनांक:-16.07.2018

एमबीसी बांसवाड़ा में कॉन्स्टेबल भर्ती वर्ष-2018 हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस मेवाड़ भील कोर बांसवाड़ा में कॉन्स्टेबल सामान्य, कॉन्स्टेबल चालक एवं कॉन्स्टेबल बैण्ड के कुल 623 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए केवल राजस्थान राज्य के ट्राईबल सबप्लान एरिया के योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (**online application form**) आमंत्रित किए जाते हैं। ट्राईबल सबप्लान एरिया के पद कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.16 में वर्णित प्रावधानानुसार भरे जायेंगे। उक्त पदों में केवल ट्राईबल सबप्लान एरिया क्षेत्र (जिला बांसवाड़ा/प्रतापगढ़/डूंगरपुर/उदयपुर/सिरोही/चित्तौडगढ़/राजसमन्द एवं पाली) के अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा (अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान राज्य आदेश 2018) में राज्य के जिला उदयपुर/चित्तौडगढ़/पाली/सिरोही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोड़ने/बढ़ाये जाने के कारण इन जिलों के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 21-07-2018 से भरे जा सकते हैं।

कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफ लाईन प्रक्रिया (ओएमआर आधारित) आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

भर्ती हेतु योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या-12/2018 दिनांक 18.05.2018 एवं 13/2018 दिनांक 22.05.2018 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेशों में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

1. आवेदन प्रक्रिया :-

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन 'online application form' लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क या जन-सुविधा केन्द्र पर भी नि:शुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा 'online application form' निम्नानुसार भरा जा सकता है:-

i. स्वयं के स्तर पर:- अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कॅफे आदि) के माध्यम से वेबसाइट www.recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट-बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

- ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर -
संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में रुपये 26/- देगें, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।
- (ग) हाथ से भरे गये आवेदन-पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- (घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा हो गया है।
- (ङ) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20kb- 50 kb) स्कैन हेतु, ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लाये।

नोट:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं।
- (2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (3) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (4) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।
- (5) आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के **preview** को आवेदन **submit** न मानें।

2. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 21-07-2018 से दिनांक 10-08-2018 को रात्रि 23:59 बजे तक (21 दिवस) भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना, समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें।

3. परीक्षा शुल्क (केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के निवासी हेतु)-

- | | |
|--|--------------|
| (क) सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु | -रुपये 400/- |
| (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदकों हेतु | -रुपये 350/- |
| (ग) सामान्य के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है। | -रुपये 350/- |

(कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प-8(3)कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02-05-2018 के अनुसार)

नोट-1-बिन्दु संख्या-ग से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतोल (पीएसटी) के समय भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

2-परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 0141-2221424/2221425 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पुस्तक

4. लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वैबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना लिखित परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वैबसाइट से प्राप्त(download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल (recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. आरक्षण

(क) महिलाओं के लिए:-

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2) डीओपी/ए-2/88/पार्ट-1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-7(2) डीओपी/क-2/96/पार्ट दिनांक 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

किसी वर्ग-विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्पूर्व वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण-विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

किसी वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (टीएसपी सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत एवं गत भर्ती के बैकलॉग की रिक्ति, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति)का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ए-2/84 पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के विन्दु संख्या-6 नियम-6(बी) के अनुसार भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र(एन.ओ.सी.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान भर्ती बोर्ड को सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम, 1988 के नियम 2(5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्ति आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्ति जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रणीत की जायेगी, तदुपरान्त ऐसी रिक्तियां अनारक्षित मानी जायेगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प-5(18)कार्मिक/क-2/84/पार्ट दिनांक 16.08.16 में वर्णितानुसार किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रार्थना खो देगा और वह केवल लोकसेवक के रूप में ही माना जावेगा अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा।

स्पष्टीकरण-भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए:-

- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।
- ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका बिन्दु संख्या-6 में अंकित है।

6. भर्ती हेतु रिक्त पद

रिक्त पदों की वर्गवार गणना टीएसपी क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार की गई है। आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए पृथक से विज्ञापित जारी नहीं की जावेगी। एमबीसी बांसवाड़ा के लिए पदवार/वर्गवार पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क-(i) कॉन्स्टेबल सामान्य (टीएसपी क्षेत्र)

एमबीसी बटालियन, बांसवाड़ा	सामान्य	एससी	एसटी	योग
कॉन्स्टेबल सामान्य	293	29	262	584

क-(ii) कॉन्स्टेबल चालक (टीएसपी क्षेत्र)

एमबीसी बटालियन, बांसवाड़ा	सामान्य	एससी	एसटी	योग
कॉन्स्टेबल चालक	15	1	12	28

क-(iii) कॉन्स्टेबल बैण्ड (टीएसपी क्षेत्र)

एमबीसी बटालियन, बांसवाड़ा	सामान्य	एससी	एसटी	योग
कॉन्स्टेबल बैण्ड	7	0	4	11

नोट:- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-15(20)कार्मिक/क-2/01/पार्ट दिनांक 12.09.2007 द्वारा ट्राईबल सब प्लान एरिया में अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी को आरक्षण देय नहीं है। ट्राईबल सबप्लान एरिया के पद कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.16 में वर्णित प्रावधानानुसार भरे जायेंगे। उक्त पदों में केवल ट्राईबल सब प्लान एरिया क्षेत्र (जिला बांसवाड़ा/प्रतापगढ़/डुंगरपुर/उदयपुर/सिरोही/चित्तौड़गढ़/राजसमन्द एवं पाली) के अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा (अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान राज्य आदेश 2018) में राज्य के जिला उदयपुर/चित्तोडगढ़/पाली/सिरोही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोड़ने/बढ़ाये जाने के कारण इन जिलों के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

7. वेतनमान और पेंशन

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक(fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल-5 (Pay matrix-Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

(i) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की सस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(ii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल सामान्य, बैण्ड एवं चालक)

बटालियन का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
एमबीसी बटालियन, बांसवाडा	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

(iii) कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (LMV/ HMV) होना आवश्यक है।

नोट- जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(v) आयु सीमा-

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह (गुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प-4(47)गृह-1/2018 दिनांक 22.05.2018 के द्वारा उच्च आयु सीमा में अभ्यर्थियों को चार वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है जिसके क्रम में आयु की गणना 01 जनवरी, 2019 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

(vi) कॉन्स्टेबल सामान्य/बैण्ड के आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)		निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो(अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	पुरुष	महिला
टीएसपी सामान्य	01.01.2001	02.01.92	02.01.87	02.01.87
टीएसपी एस.सी./एस.टी. वर्ग	01.01.2001	02.01.87	02.01.82	02.01.82
टीएसपी कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2001	02.01.89	02.01.84	02.01.84
टीएसपी भूतपूर्व सैनिक	01.01.2001	02.01.73	02.01.73	02.01.73

(vii) कॉन्स्टेबल चालक के आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
टीएसपी सामान्य	01.01.2001	02.01.89	02.01.84
टीएसपी एस.सी./एस.टी. वर्ग	01.01.2001	02.01.84	02.01.79
टीएसपी कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.2001	02.01.86	02.01.81
टीएसपी भूतपूर्व सैनिक	01.01.2001	02.01.73	02.01.73

(viii) शारीरिक मापदण्ड—

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है—

मापदण्ड	टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	
	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलाए—81से.मी. फुलाने पर—86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट—

आदिवासी क्षेत्र के अनुजाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनको राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14(2) के अनुसार छूट देय होगी।

(ix) चिकित्सकीय मापदण्ड

1. अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसें फूली हुई होना (varicose veins), भेंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) या अन्य कोई विकृति जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

9. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

- (i) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/95/पार्ट-2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

- (iii) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वाञ्छनीय होगा।
- (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)
- (v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (डिबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित(डिबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
- (vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 1300 दिनांक 28.03.17 में वर्णित निर्देशों के अनुसार पुलिस मुख्यालय की अनुमति के उपरान्त ही कार्यवाही की जावेगी।

10. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया-

कानिका चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28(3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा। कॉन्स्टेबल बैण्ड के पद हेतु लिखित परीक्षा नहीं ली जायेगी।

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

परीक्षा का चरण	कान्स्टेबल सामान्य	कान्स्टेबल ड्राइवर	कान्स्टेबल बैण्ड
लिखित परीक्षा	75	75	लागू नहीं
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं	लागू नहीं
अंकों का योग	100	100	25

11.(i) लिखित परीक्षा-

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 120 प्रश्न एवं समयावधि 2 घन्टे की होगी। यह परीक्षा ऑफ लाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी-

भाग - विषय	प्रश्न	अंक
अ - विवेचना एवं तार्किक योग्यता	30	30
ब - सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर	30	15
स - राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	60	30
कुल	120	75

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अलग-अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में अलग-अलग उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 75 का 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ए-2/84/पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या-9 में वर्णित नियम-18 ए(i) के अनुसार देय होगा।

गलत उत्तर देने पर प्रत्येक प्रश्न के अंक का 25 प्रतिशत अंक काटा जायेगा। लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न-पत्र सम्बन्धी आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।

लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चरप्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

बिन्दु संख्या-6 क-(iii) उल्लेखित कान्स्टेबल बैण्ड पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी।

(ii) शारीरिक मापतौल/शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Standard Test/Physical Efficiency Test(PST/PET)-

सम्बन्धित बटालियन की पदवार/वर्गवार/महिला व पुरुष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों (बैण्ड पद के समस्त अभ्यर्थी) को शारीरिक माप-तौल (PST) व शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) हेतु बुलाया जाएगा। नियमानुसार गठित भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक माप-तौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी। चयन बोर्ड PST में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके शारीरिक मापतौल से अवगत करायेंगा।

अपील-शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रुपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय चिकित्सक रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी।

नोट- अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती हैं उनको सलाह दी जाती है कि वह इसमें भाग नहीं लें। यदि भाग लेते हैं तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पृथक से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है तथा इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड/अंक निम्नानुसार है:-

कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक/बैण्ड पद के आवेदकों के लिए :-

पद	दूरी	समय	अंक (कानि सामान्य)	अंक (कानि चालक/बैण्ड)
टीएसपी पुरुषों के लिए	05 किमी	20 मिनट एवं 20 मिनट से कम	15	10
		20 मिनट से अधिक एवं 22 मिनट तक	10	7
		22 मिनट से अधिक एवं 25 मिनट तक	5	5

टीएसपी महिलाओं के लिए	05 किमी.	26 मिनट एवं 26 मिनट से कम	15	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	10	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30मिनट तक	5	5
टीएसपी भूतपूर्व सैनिकों के लिए	05 किमी.	25 मिनट एवं 25 मिनट से कम	15	10
		25 मिनट से अधिक 26.30 मिनट तक	10	7
		26.30 मिनट से अधिक 28 मिनट तक	5	5
टीएसपी एससी / एसटी अभ्यर्थियों के लिए	05 किमी.	26 मिनट एवं 26 मिनट से कम	15	10
		26 मिनट से अधिक एवं 28 मिनट तक	10	7
		28 मिनट से अधिक एवं 30 मिनट तक	5	5

नोट-

- 1- शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने अर्थात् 5 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

(iii) दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल ड्राइवर/बैण्ड पद के आवेदकों के लिए)-

शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कॉन्स्टेबल ड्राइवर/बैण्ड पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के अनुरूप ही होंगे। दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेंगे।

कानि. ड्राइवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी।

कानि. बैण्ड पद के अभ्यर्थी की बैण्ड उपकरण से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, रख-रखाव, धुनी, इत्यादि से सम्बन्धित परीक्षा ली जाएगी।

विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या-12/2018 13/2018 दिनांक 22.05.2018 में अंकित है।

(iv) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक-

कॉन्स्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (कुल अंक 10) प्रदान किये जायेंगे:-

एन.सी.सी.

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	5
2	बी- प्रमाण पत्र	3
3	ए- प्रमाण पत्र	2

होमगार्ड

क्र.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	होमगार्ड में निरन्तर 5 वर्ष तक सेवा देने पर	5
2	होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर	4
3	होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर	2

(v) चयन सूची-

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता या दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी।

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण-

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पत्र माना जाएगा।

अपील-उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस, विशेष योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पत्र माना जावेगा।

12. प्रमाण पत्र-


अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST/PET) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-

- (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- (ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
- (iii) अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प-15(2)गृह-9/2000 दिनांक 05.07.2018 में अधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
- (iv) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (v) आवेदक यदि मृतक पुलिस कर्मी की सन्तान है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (vii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।
- (viii) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.)रंगीन फोटो।
- (ix) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।
- (x) कॉन्स्टेबल ड्राइवर हेतु स्थाई ड्राइविंग लाईसेंस (LMV / H MV) की मूल प्रति।
- (xi) एनसीसी, होमगार्ड के प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।
- (xii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र।

13. महत्वपूर्ण निर्देश


- (i) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 4 में उल्लेखित सैक्शन (ii) (दो एमबीसी बटालियनों के मध्य), पदस्थापित किया जा सकेगा।
- (ii) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
- (iii) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- (iv) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- (v) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (vi) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- (vii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- (viii) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बन्धित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- (ix) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (x) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या-12 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- (xi) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जाँच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान उत्तर-पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर-पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवं नमूना प्रवेश पत्र राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
- (xii) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या-12/2018, 13/2018 दिनांक 22.05.2018 एवं विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट www.recruitment2.rajasthan.gov.in/www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (xiii) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 0294-3057541 and email id- recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, पारंपत्रा का विज्ञापन में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे।


(डा.प्रशाखा माथुर)
महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. महानिदेशक, गृहरक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/कारागार, राज. जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर./एम.बी.सी. खैरवाडा/हाडीरानी महिला बटालियन नारेली, अजमेर।
9. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान/पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल.बीकानेर।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.), राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
14. प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाइट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि इसे तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।


महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती)
राजस्थान, जयपुर।